

22/7/25



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा - 201305
टेलीफोन: 0120-2567268/69/70



ईमेल: dc@nsez.gov.in, वेबसाइट: www.nsez.gov.in

दिनांक: 22/07/2025

सेवा मे,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नौएडा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन, प्लॉट सं.- ए-2डी, सेक्टर 24, नौएडा।
4. आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306.
5. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001
6. उप सचिव (आई एफ-1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा।

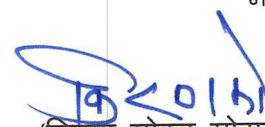
विषय: दिनांक 15/07/2025 को अपराह्न 02:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 15/07/2025 को अपराह्न 02:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

भवदीय,

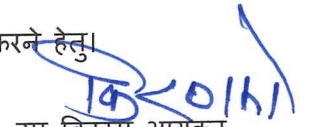
संलग्नक: उपरोक्त


(किरण मोहन मोहाडीकर)
उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ
3. विनिर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
4. सचिव, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
5. कार्यपालक अभियंता, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इ.यु.डी.डी.-II, सेक्टर - 18, नौएडा।
6. उप आयुक्त, व्यापार कर, खण्ड-14, सेक्टर -18, नौएडा।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इ-12/1, सेक्टर -1, नौएडा।
8. कंप्यूटर सेक्शन, नौ.वि.आ.क्षे. - बैठक के कार्यवृत्त को एनएसईजेड वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

: सूचनार्थ


उप विकास आयुक्त

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 15/07/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 15/07/2025 को अपराह्न 02:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती अलका मिश्रा, कर प्राप्ति अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
4. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (iii) प्रमोद कुमार, स्टेनो-। (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) और (v) राजीव कुमार, कनिष्ठ अभियंता, यूपीपीसीएल, भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. **कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:**

(1) दिनांक 20/06/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 20/06/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 20/06/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) बिक्रम एक्सपोर्ट्स - स्वीकृति पत्र (LOA) के अल्पकालिक नवीनीकरण का अनुसमर्थन।

2.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स बिक्रम एक्सपोर्ट्स को जारी स्वीकृति पत्र (LOA) के 27/08/2025 तक के अल्पकालिक नवीनीकरण के अनुमोदन का अनुसमर्थन किया।



(3) कर्ण कुसुमा एंटरप्राइजेज एलएलपी - नाम परिवर्तन का अनुसमर्थन।

3.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को 'कर्ण कुसुमा एंटरप्राइजेज एलएलपी' से 'एसवीआर एंड कुसुमा एंटरप्राइजेज एलएलपी' नाम बदलने के लिए दी गई स्वीकृति का अनुसमर्थन किया।

(4) विक्टुरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड - नाम परिवर्तन का अनुसमर्थन और निदेशकों, शेयरधारिता स्वरूप और पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन की सूचना।

4.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को 'विक्टुरा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड' से 'विक्टुरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' नाम बदलने के लिए दी गई मंजूरी की पुष्टि की। अनुमोदन समिति ने निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार निदेशकों, शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन और इकाई के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन पर भी ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने नोएडा एसईजेड प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, ईएम प्रभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन के संबंध में स्थानांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया। इकाई को कार्यसूची में बताए अनुसार पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन और निदेशकों में परिवर्तन से संबंधित लंबित दस्तावेज जमा करने का भी निर्देश दिया गया।

(5) एक्वाप्लस ग्लोबल - आयात/निर्यात के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) में व्यापारिक वस्तुओं/नए आईटीसी एचएस कोड को जोड़ने का अनुरोध।

5.1 इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) श्री अनूप टंडन अनुमोदन समिति की बैठक में उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने समिति को सूचित किया कि वे 'ट्रेडमिल्स (आईटीसी एचएस कोड 95069190)' का आयात करेंगे, जिन्हें बाद में एक अलग आईटीसी एचएस कोड के तहत 'स्विम स्पा' के एक अभिन्न अंग के रूप में निर्यात किया जाएगा।

5.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई के प्रतिनिधि द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आयातित और बाद में निर्यात की जाने वाली प्रस्तावित वस्तु के नामकरण और आईटीसी एचएस कोड में भिन्नता होगी। इसके अलावा, 'स्विम स्पा' इकाई के अधिकृत संचालन में व्यापारिक गतिविधि के अंतर्गत अनुमोदित नहीं है।

5.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 'ट्रेडमिल्स का व्यापार (95069190)' को शामिल करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन देने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन ट्रेडमिल के साथ निर्यात की जाने वाली प्रस्तावित वस्तु के वास्तविक नामकरण और आईटीसी एचएस कोड प्रस्तुत करने के अधीन होगा। अनुमोदन समिति ने इकाई से आवश्यक दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को अधिकृत किया।

(6) दीपक केयर लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में नई व्यापारिक वस्तुएँ/आईटीसी एचएस कोड जोड़ने का अनुरोध।

6.1 इकाई के लॉजिस्टिक्स प्रबंधक श्री नंदन सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने अनुमोदन समिति को सूचित किया कि उन्हें प्रस्तावित वस्तुओं की आपूर्ति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से क्रय आदेश प्राप्त हो गया है। यह वस्तु जर्मनी से आयात की जाएगी और बाद में फिजी को निर्यात की जाएगी।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अतिरिक्त अधिकृत संचालन, अर्थात् "(i) ऊँचाई मापने के लिए स्टेडियोमीटर (90178090); (ii) कैरीइंग केस (42022290); (iii) मापने वाला टेप (90178010); (iv) प्रयोगशाला उपयोग के लिए बेंचटॉप निरंतर तापमान शेकिंग इनक्यूबेटर (84799040); (v) प्रयोगशाला उपयोग के लिए टेस्ट ट्यूब रैक- बहुउपयोगी (73269099)" का व्यापार, को स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल करने के प्रस्ताव इकाई को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इकाई द्वारा निर्यात आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने के अधीन है।

(7) एबिक्सकैश लिमिटेड (यूनिट-I, II और III) - नाम, निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन।

7.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई (एनएसईजेड में सभी तीन इकाइयों के संबंध में) का नाम 'एबिक्सकैश लिमिटेड' से 'एबिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड' में परिवर्तन के साथ-साथ निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार इकाई के निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन पर ध्यान दिया। यह कार्यसूची में बताए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने ईएम डिवीजन, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (NSEZA) के निर्णय के अनुसार शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन के संबंध में स्थानांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

(8) इडेमिया सिस्कोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - सिम कार्ड और स्मार्ट कार्ड के लिए एकीकृत सर्किट के निर्माण हेतु अधिकृत परिचालनों में उपयोग हेतु आयात हेतु अनुमत एचएस कोड, सोने के तार की मोटाई और चांदी के तार के मूल्य में परिवर्तन का अनुरोध।

(8) इडेमिया सिस्कोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - एचएस कोड, सोने के तार की मोटाई और चांदी के तार के मूल्य में परिवर्तन के लिए अनुरोध, सिम कार्ड और स्मार्ट कार्ड के लिए एकीकृत सर्किट के निर्माण के लिए अधिकृत संचालन में उपयोग के लिए आयात की अनुमति दी गई।

8.1 इकाई के संयंत्र निदेशक श्री संजीव गोयल और सहायक महाप्रबंधक (वाणिज्यिक) श्री नवीन केंथ अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। पूछताछ पर, इकाई के प्रतिनिधियों ने बताया कि 'सोने के तार' और 'चांदी के तार' की प्रस्तावित मात्रा वर्तमान पाँच वर्षों के ब्लॉक के लिए है।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एचएस कोड, सोने के तार की मोटाई और चांदी के तार के मूल्य में संशोधन हेतु इकाई के प्रस्ताव को इस

प्रकार अनुमोदित किया: "(i) सोने का तार (71081310) (13 किमी लंबाई / मोटाई 25 माइक्रोन) 25.920 किलोग्राम, जिसका अनुमानित मूल्य 23,40,000 अमेरिकी डॉलर है; (ii) चांदी का तार (71069290) (13 किमी लंबाई / मोटाई 20 माइक्रोन) 15.120 किलोग्राम, जिसका अनुमानित मूल्य 3,60,000 अमेरिकी डॉलर है"। कार्यसूची में की गई टिप्पणियों के अनुपालन में कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित।

(9) केजी एक्सपोर्ट्स - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और निष्पादन की निगरानी।

9.1 इकाई के भागीदार श्री केवल गर्ग अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

9.2 अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के निष्पादन की निगरानी की और 31.03.2024 तक तीसरे ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि दर्ज की। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने 31.03.2024 तक पिछले ब्लॉक अवधि के दौरान न्यूनतम मूल्यवर्धन हासिल किया है। हालाँकि, अनुमोदन समिति द्वारा इकाई को पिछले ब्लॉक के दौरान संशोधित सीए प्रमाणित वर्ष-वार मूल्यवर्धन उपलब्धि विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

9.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स केजी एक्सपोर्ट्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत पांच साल के चौथे ब्लॉक यानी 08/10/2030 तक के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण किया जाएगा, ताकि अधिकृत संचालन "(i) हस्तनिर्मित सादे सोने के आभूषण (71131911) (क्षमता 150 किलोग्राम/वर्ष); (ii) सिंथेटिक, अर्ध-कीमती पत्थरों और मोती से जड़े हस्तनिर्मित सोने के आभूषण (71131919) (200 किलोग्राम/वर्ष); (iii) हीरे से जड़े हस्तनिर्मित सोने के आभूषण (71131913) (50 किलोग्राम/वर्ष); (iv) मोती से जड़े हस्तनिर्मित सोने के आभूषण (71131912) (50 किलोग्राम/वर्ष)" किया जा सके।

अनुपूरक कार्यसूची पर निर्णय:

(10) ओनसिनेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (वेयरहाउसिंग इकाई) - लागू शुल्कों के भुगतान पर मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) को शराब जारी करने हेतु स्वीकृति पत्र (LOA) में अनुमति शामिल करने का अनुरोध।

10.1 इकाई के निदेशक श्री हर्ष टक्कर और श्री ई.एस. शंकर, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। इकाई के प्रतिनिधियों ने अनुमोदन समिति को सूचित किया कि उनकी अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड, मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड), पनवेल, मुंबई में भी एक मौजूदा इकाई है, जिसे लागू शुल्कों के भुगतान पर मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) को शराब जारी करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि उनकी कंपनी ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) पोर्टल पर वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है, जो प्रक्रियाधीन है। उन्होंने आगे बताया कि वे लॉजिस्टिक ऑपरेटर की श्रेणी

के अंतर्गत एक अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (ईओ) हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्य उत्पाद शुल्क विभाग से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में ऐसे शिपमेंट का भंडारण और आपूर्ति करने की विशेष अनुमति प्राप्त है। चूंकि मूल्यांकन, भुगतान किए जाने वाले शुल्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसलिए समिति के ध्यान में लाया गया कि एनआईडीबी डाटाबेस, विद्यमान उत्पादों के लिए क्रॉस सत्यापन के साधनों में से एक है।

10.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और इस तथ्य को ध्यान में रखा कि इकाई एक ईओ - लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर थी, उसके पास घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में ऐसे शिपमेंट के भंडारण और आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग से अनुमति थी, उसने स्टार एक्सपोर्ट हाउस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था; उसके पास क्षेत्र के अंदर भंडारण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा था, जिसका निर्यात कारोबार संतोषजनक था और वह संबंधित उत्पाद से संबंधित किसी भी जांच के दायरे में नहीं आई थी। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, इसने सभी लागू शुल्कों/करों जैसे सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क/वैट आदि के भुगतान पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में आयातित शराब की आपूर्ति के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन देने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन स्टार एक्सपोर्ट हाउस प्रमाणपत्र, ईओ प्रमाणपत्र की प्रति और इकाई द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में आयातित शराब की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग से प्राप्त अनुमति की प्रति प्रस्तुत करने के अधीन होगा। समिति ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के परियोजना अनुभाग को अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड, मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड), पनवेल, मुंबई से उक्त कंपनी इकाई द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में आयातित शराब की आपूर्ति की अनुमति देते समय अपनाई जाने वाली नियम व शर्तों तथा सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का भी निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के विकास आयुक्त कार्यालय को प्राप्त सभी सूचनाओं के आधार पर इस अनुमोदन की शर्तों को अंतिम रूप देने का अधिकार दिया।

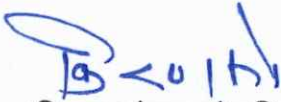
(1.1) स्टेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड - अंतिम निकास से पहले कार्य-निष्पादन की निगरानी और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 74ए के अंतर्गत परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के हस्तांतरण हेतु अंतिम अनुमोदन पर विचार।

11.1 अनुमोदन समिति ने इकाई के कार्य-निष्पादन की निगरानी की और 10/06/2025 तक पाँच वर्षों के पहले और दूसरे ब्लॉक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने यह भी ध्यान दिया कि कोई निर्यात आय प्राप्ति हेतु लंबित नहीं दिखाई गई है।

11.2 अनुमोदन समिति ने निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार मेसर्स स्टेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल और शेयरधारिता स्वरूप में हुए परिवर्तनों पर भी ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, ईएम प्रभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन के संबंध में हस्तांतरण शुल्क लगाने के मामले की जाँच करने का निर्देश दिया।

11.3 अनुमोदन समिति ने, उचित विचार-विमर्श के बाद, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74ए के अंतर्गत मेसर्स स्टेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड को प्लॉट संख्या 149, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) स्थित भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान करने का भी निर्णय लिया। यह (i) मेसर्स स्टेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शेष निकास औपचारिकताओं को पूरा करने; (ii) विकास आयुक्त द्वारा फाइल पर अंतिम निकास की स्वीकृति; (iii) लागू हस्तांतरण शुल्क का भुगतान; और (iv) हस्तांतरिती द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को फाइल पर अंतिम निकास के मामले की जांच करने का भी निर्देश दिया।

बैठक अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।



(किरण मोहन मोहादिकर)

उप विकास आयुक्त



(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त